बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन बी.पी.एल. सूची के आधार पर तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची से सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाता है, बशर्ते कि लाभुक निम्न अहर्ता रखते हों :-

1) लाभुक का नाम बी.पी.एल. सूची में हो,
2) पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला हो,
3) पूर्व से पक्का मकान न हो,
4) परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो,

- लाभुक का चयन बी.पी.एल. स्कोर के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची के आरोही क्रम में किया जाता है ।

- आवास निर्माण हेतु सहायता राशि दो किस्तों में लाभुक के बैंक खाता में दी जाती है । लाभुक अपनी स्वेच्छा से राशि की निकासी कर सकते हैं । राशि की निकासी करने में किसी पहचानकर्ता की आवश्यकता नहीं है । बैंक खाता से राशि निकासी के लिए मुखिया या किसी भी सरकारी सेवक की कोई भूमिका नहीं है ।

  ऐसी शिकायत मिली है कि कुछ मामलों में जबतक मुखिया या सरकारी सेवक पहचान नहीं करते, तबतक लाभार्थी बैंक से राशि नहीं निकाल पाते, यह व्यवस्था बिल्कुल ही वर्जित है ।

- यदि इंदिरा आवास के चयन एवं बैंक से राशि की निकासी के लिए कोई अनावश्यक दबाव दिया जाय या नजायज राशि की मांग की जाय तो इसकी सूचना निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त को दें ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके ।

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

सू.ज.स.वि. 12578 (ग्रा.वि.) 12-13 बिहार